न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 27/2024

(GCMS 2024/105)(212717195903451)

संदीप सिंह पुत्र श्री हरी सिंह जाति जाट निवासी मकान नम्बर 57, चक 2 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) (मोबाईल नं. 89502–36720, 88243–03782)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

28.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी संदीप सिंह को बार–बार आवाज़ लगाई गई किन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 24.03.2024 को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी संदीप सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा कृषि भूमि को आवासीय /व्यवसायिक/वाणिज्य में रूपांतरण करने की सीमा क्या है अर्थात कितनी कृषि भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा रूपांतरित की जा सकती है।
2. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (रायसिंहनगर) द्वारा कृषि भूमि को आवासीय/व्यवसायिक/वाणिज्य में रूपांतरण करने की सीमा क्या है अर्थात कितनी कृषि भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा रूपांतरित की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3. श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा कृषि भूमि को आवासीय /व्यवसायिक/वाणिज्य में रूपांतरण करने की सीमा क्या है अर्थात कितनी कृषि भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा रूपांतरित की जा सकती है।

लोक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा) श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ41(5)( )राजस्व/2024/1074 दिनांक 10.04.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना निम्न प्रकार से प्रेषित है:

क्र. सं.	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जवाब
1	श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा कृषि भूमि को आवासीय /व्यवसायिक/वाणिज्य में रूपांतरण करने की सीमा क्या है अर्थात कितनी कृषि भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा रूपांतरित की जा सकती है।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में और काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही स्वयं का मत दे सकते है कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का अधिकार नियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार आप द्वारा तीनों बिन्दुओं की चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत देय नहीं है।
2	श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा कृषि भूमि को आवासीय/व्यवसायिक/वाणिज्य में रूपांतरण करने की सीमा क्या है अर्थात कितनी कृषि भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा रूपांतरित की जा सकती है।	
3	श्रीमान् तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा कृषि भूमि को आवासीय/व्यवसायिक /वाणिज्य में रूपांतरण करने की सीमा क्या है अर्थात कितनी कृषि भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा रूपांतरित की जा सकती है।	

Signature Not Verified

Digitally signed by (Lok Bandhu)
Date: 2024.09.11 15:15:49 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
(लोक बंधु चौधरी)
सूचना अधिकारी
(प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर **लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसप्रकार लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को सूचनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:49 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर